



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या - 01, सैक्टर - नॉलेज पार्क - 04,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201310

पत्रांक : सम्पत्ति /का0आ0/2018/44058
दिनांक 17/7/2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 112/19, दिनांक 07.07.2018 को मा0 सचालक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर जारी कार्यवृत्त पत्रांक संख्या अ0म0का0अ0/112वीं वो0वै0/2017/76 दिनांक 13.07.2018 के कम में निविदा पर आधारित आवासीय भूखण्डों की योजना एल.ओ.पी.-02 के आवंटियों को डिफाल्टिड धनराशि जमा कराने एवं लीजडीड निष्पादन कराये जाने हेतु निम्न शर्त के साथ समय विस्तारण प्रदान किया गया है :-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की निविदा पर आधारित आवासीय भूखण्डों की योजना एल.ओ.पी.-02 के ऐसे आवंटिगण, जिनके द्वारा वर्तमान तक देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा ना ही अपने पक्ष में लीजडीड निष्पादित करायी नहीं करायी गयी है। प्राधिकरण द्वारा उन आवंटियों को देय धनराशि को 15 प्रतिशत दण्डात्मक व्याज सहित जमा कराते हुये लीजडीड निष्पादन कराये जाने हेतु दिनांक 30.09.2018 तक का समयविस्तारण प्रदान किया जाता है। यह समयविस्तारण अन्तिम होगा। उक्त अवधि के पश्चात कोई समय विस्तारण अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त आदेश प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 112/19, दिनांक 07.07.2018 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जा रहा है जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(आर0 के0 देव)
महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी) महोदय को अवलोकनार्थ।
3. व्यक्तिगत सहायक, विशेषकार्याधिकारी (वी0सी0) महोदया को अवलोकनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (वित्त) महोदय को अवलोकनार्थ।
5. वरिष्ठ कार्यपालक / प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक (सम्पत्ति) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाइल।

16/7/2018
महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)